न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 104/2025 बउनवानी करण सिंह बडवा बनाम उपजिला कलेक्टर खण्डार निवासी –चाकसू जयपुर

GCMS No-2025/ 233 Appeal Number- 321071689176575

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
17.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 28.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *" उपखण्ड न्यायालय खण्डार में विचाराधीन वाद संख्या 9/2015 करण सिंह बडवा बनाम तहसीलदार खण्डार व अन्य में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से काउंटर क्लेम मय शपथ पत्र के सभी पेजो की प्रमाणित प्रतिलिप"* उपजिला कलेक्टर खण्डार से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/2025/154 दिनांक 16.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा चाही सूचना हेतु आवेदक द्वारा दिनांक 31.7.2025 को आवेदन पेश कर करने पर चाही गयी सूचना दिनांक 4.8.2025 को उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। कथन के समर्थन मे नकल आवेदन पत्र की प्रति जवाब के साथ संलग्न है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner